



न्यायालय श्रीमान सदस्य महोदय राजस्व मण्डल ग्वालियर म०प्र०

प्रकरणं कमांक*क्र.सं. 3327-प०/१५*

राधेश्याम पुत्र कन्हैयालाल जाति लोधा निवासी ग्राम सानई
तहसील कुम्भराज जिला गुना म०प्र०

-----आवेदक/निगरानीकर्ता

विपरीत

म०प्र०राज्य शासन द्वारा पटवारी ग्राम सानई तहसील कुम्भराज
जिला गुना म०प्र०

-----अनावेदक/प्रति निगरानीकर्ता

श्री. *राधेश्याम चतुर्षी शास्त्री*
द्वारा आज दि. *14-10-15* को
प्रस्तुत

क
कानूकी ऑफिस काट
14-10-15
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म०प्र०भू०रा० संहिता 1959।

निगरानी विरुद्ध श्रीमान एस.डी.ओ. महोदय चाचौड़ा के प्रकरण कमांक 15अ
68/2014-15 में पारित आदेश दिनांक 08-10-15 से व्यथित होकर।

अक्षय

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 3327-पीबीआर/2015

जिला गुना

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारी एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
15-10-2015	<p>उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश दिनांक 8-10-2015 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश को देखने से स्पष्ट है कि आवेदक द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष दिनांक 18-9-15 को आवेदन पत्र प्रस्तुत कर संहिता की धारा 162 एवं 248 में संशोधन होना दर्शाते हुये आपत्ति प्रस्तुत की गई है, जबकि दिनांक 11-7-2013 को संहिता में कोई संशोधन नहीं हुआ है, बल्कि केवल बिल पेश हुआ है, इस कारण अनुविभागीय अधिकारी द्वारा आवेदक का आवेदन पत्र निरस्त करने में प्रथमदृष्टया विधिसंगत कार्यवाही की गई है, इसलिये उनका आदेश हस्तक्षेप योग्य नहीं है । अतः यह निगरानी आधारहीन होने से अग्राह्य की जाती है ।</p>	<p>(मनोज गोयल) अध्यक्ष</p>